



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1203

दिनांक: 30/12/2022

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित विधि सहायकों को कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (47,600-1,51,100/- रु.) में [जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था] पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे।

क्रम सं./ वरि. सं.	नाम व पिता / पति का नाम श्री / श्रीमती	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/ 44	कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री तेलु राम	वरिष्ठ विधि अधिकारी (अभियांत्रिकी)
2/ 45	मयंक वर्मा सुपुत्र श्री हेमंत कुमार	वरिष्ठ विधि अधिकारी (भूमि निपटान)
3/ 47	रोहित सुपुत्र श्री नरेश चन्द्र	वरिष्ठ विधि अधिकारी (योजना)
4/ 48	अमित कृष्णा सुपुत्र श्री राधा कृष्णा मिश्रा	वरिष्ठ विधि अधिकारी (भूमि प्रबंधन)
5/ 49	वैभव कुमार शर्मा सुपुत्र श्री शिव कांत शर्मा	वरिष्ठ विधि अधिकारी (आवास)
6/ 52	अजय बंसल सुपुत्र श्री जोगिन्दर पाल बंसल	उप मुख्य विधि सलाहकार-I
7/ 54	मोनू शर्मा सुपुत्र श्री नन्धू शर्मा	वरिष्ठ विधि अधिकारी (शुल्क बिल)
8/ 55	गीता धर्मपत्नी श्री मयंक भल्ला	वरिष्ठ विधि अधिकारी (अभियांत्रिकी)
9/ 56	नेहा जैन धर्मपत्नी श्री हनी जैन	वरिष्ठ विधि अधिकारी (अभियांत्रिकी)
10/ 59	शिखा सैनी धर्मपत्नी श्री अमित अगरवाल	वरिष्ठ विधि अधिकारी (भूमि निपटान)
11/ 63	रितेश कुमार गोयल सुपुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
12/ 64	अशोक कुमार मीणा सुपुत्र श्री राज पाल मीणा	वरिष्ठ विधि अधिकारी (आवास)

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु उप निदेशक (कार्मिक)-1 को रिपोर्ट करने का आदेश किया है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:-

30/12/2022

सं.एफ.10(57)2022/सी.सी./ 1033

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक) / (उद्यान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक) / (भूमि निपटान) / आवास / भूमि प्रबंधन, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2, दि.वि.प्रा.।
6. अवर सचिव (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय), दि.वि.प्रा.।
7. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / भूमि निपटान (समन्वय) / आवास (समन्वय) / भूमि प्रबंधन (समन्वय) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।